



महिला तांत्रिक को चांदी की चप्पल और चांदी के पर्स का शौक

युवती को प्रेमी ने किया ब्लैकमेल तो तांत्रिक दोस्त ने पति साथ मिलकर की लाखों में टगी

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। प्रेमी के जाल में फंसी युवती ने जब अपनी महिला तांत्रिक से मदद मांगी तो उसने मदद करने की अपेक्षा उसको ही ठगने का मन बना लिया, जिसमें उसका पति ने भरपूर साथ दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर युवती से लाखों की टगी और अपने महंगे शौक पर खर्च किये। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि महिला तांत्रिक द्वारा जहां चांदी का पर्स और चांदी की चप्पल बनवाई गई, जिन्हें वह अपने उपयोग में लेती थी, तो वहीं उसने टगी के पैसों से पूरे ऐसी आराम का सामान खरीदा, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं महिला तांत्रिक द्वारा अपने इन पापों से बचने के लिए देश विदेश के कई मंदिरों में भंडारों का आयोजन भी किया गया, जिससे उस कृत्य की सजा न मिले। दरअसल प्रेम जाल में फंसाकर 1.30 करोड़ की टगी करने वाले गैंग को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पछुताछ की, जिसमें कई अहम



आरोपियों ने कबूला टगी के पैसों से खरीदे आभूषण और घरेलू सामान:

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी आकाश चौहान एवं उसकी पत्नी तांत्रिक आयुषी चौहान ने स्वीकार किया कि टगी से प्राप्त राशि से उन्होंने महंगे सोने एवं चांदी के आभूषण खरीदे, जिनमें चप्पल से लेकर चांदी का पर्स शामिल है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इसके अलावा महिन्द्रा थार वाहन, दो आईफोन, एप्पल नोटबुक, महंगे कॉस्मेटिक सामान, स्कूटी, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, बड़ा फ्रिज, अलमारी, महंगी घड़ियां एवं अन्य घरेलू सामान खरीदा गया था, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।

खुलासे हुए, जिनमें टगी के पैसों से खरीदी गई चल-अचल संपत्ति बरामद की गई, तो वहीं लगभग 70 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी एवं अन्य सामान जब्त किया। इसके अलावा पुलिस द्वारा बैंक ट्रांजेक्शन एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आगे की जांच का

जा रहें हैं कि कहीं यह महिला तांत्रिक सहित पूरा संगठित गिरोह किसी और को नहीं टग रहे थे। मामले को लेकर कोतवाली टीआई रवि प्रताप चौहान ने बताया गया कि आरोपी आदित्य सिंह तोमर, आयुषी चौहान, आर्यन सोनी, आकाश चौहान एवं

एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा युवती को डरा-धमकाकर अश्लील फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। साथ ही स्वयं को फ्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पीड़िता से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये की टगी की

गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रविप्रताप सिंह चौहान को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर थाना कोतवाली में

अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं प्रकरण में आरोपी आदित्य तोमर, आयुषी चौहान, आकाश चौहान एवं आर्यन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों का पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ की गई। **मोबाइल फोन एवं लैपटॉप फॉरेंसिक जांच जारी:** प्रकरण में आरोपियों के मोबाइल फोन एवं लैपटॉप फॉरेंसिक जांच हेतु भेजे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों एवं पेमेंट गेटवे की सघन जांच की जा रही है, ताकि मनी ट्रेल को ट्रेस कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों द्वारा शहर में अन्य व्यक्तियों को भी ब्लैकमेल अथवा इसी प्रकार की टगी का शिकार तो नहीं बनाया गया है। जिसका जांच अब कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रहें हैं।



ट्रेक्टर पर गिरी 11 केही की बिजली लाइन, टला हादसा

नवभारत न्यूज

बहादुरपुर। कस्बे से एक किलोमीटर दूर गोरा मार्ग पर खोपरा गांव में एक ट्रेक्टर पर 11 केवी की बिजली लाइन के दो खंभे गिर गए। जिस समय खंभे गिरे, तब इस आबादी लाइन पर सप्लाई चालू थी, गनीमत रही कि लाइन के तारों ने ट्रेक्टर को नहीं छुआ, अन्यथा जानमाल की हानि हो सकती थी। बिजली कंपनी का दावा है कि टकराव हुई है, वहीं ट्रेक्टर चालक का कहना है कि खंभे टूटकर गिरे हैं। बताया गया है कि खोपरा गांव से काली मिट्टी भरकर एक टॉली को खाकलोन निवासी नीतेश नायक

अपने मैसी ट्रेक्टर से ले जा रहा था। गोरा मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी आबादी लाइन के दो खंभे टूटकर ट्रेक्टर पर आ गिरे। जिससे ट्रेक्टर का टफ टेढ़ा हो गया, हालांकि खंभे गिरते ही चालक नीचे उतर गया। जिससे उसकी जान बच गई। राहगीरों ने बिजली कंपनी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सप्लाई बंद कराई गई। जेई बाबूजी मंडेलिया ने बताया कि आज कोई आंधी तूफान नहीं आया, ट्रेक्टर की टकराव से खंभे गिरे हैं, हमने उससे खंभे लगवाने के लिए कहा है, अगर वह खंभे नहीं लगवाएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे।

एक नजर में



पुलिस गिरफ्त में आया फरार आरोपी

अशोकनगर। मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च को तोफान सिंह पुत्र कमान सिंह कटारिया निवासी मिर्जापुर द्वारा थाना बहादुरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी आज्ञाराम कटारिया, राजेन्द्र कटारिया, रंजय कटारिया, महेश कटारिया एवं दयाराम कटारिया द्वारा उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर थाना बहादुरपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस का इजाजा किया गया। थाना प्रभारी बहादुरपुर उप निरीक्षक नीलम सिंह यादव को आरोपीगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी बहादुरपुर द्वारा पुलिस टीम गठित कर फरार आरोपी की तलाश की गई। मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी आज्ञाराम पुत्र गंगाराम कटारिया उम्र 44 वर्ष निवासी मिर्जापुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



घर-घर योग हर व्यक्ति निरोग धीम पर आरोग्य केन्द्रों पर कराया योगाभ्यास

अशोकनगर। आगामी 21 जून को होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन के सफल, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन हेतु घर-घर योग हर व्यक्ति निरोग धीम को लेकर योग को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 11 मई से 25 मई तक होने वाले 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय योग शिक्षकों द्वारा योग कराया जा रहा है। जिसका प्रसारण जिले के 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ केंद्रों पर पदस्थ योग प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित जन मानस को योग कराया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. उपेंद्र खुर्वशी के द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की है कि वह समीपस्थ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष) पर में पहुंचकर इस प्रशिक्षण का लाभ लें।

कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी लोगों की समस्याएं

जनसुनवाई में आए 196 आवेदन
कलेक्टर ने निराकरण के लिए निर्देश

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिला मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय-समय में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्टर ने एक-एक कर आवेदकों की



समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय-समय में निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रमुख रूप से पंचायत, राजस्व, सड़क, पेंशन, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्टर ने एक-एक कर आवेदकों की

निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जिससे आवेदकों ने संतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई

का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में ग्राम थिंगली निवासी निहाल यादव द्वारा अतिथि शिक्षक की जानकारी दिलाये जाने, ग्राम भातपुरा निवासी कैलाश गुर्जर द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने, ग्राम मुगावली निवासी जानकी प्रसाद प्रजापति द्वारा सीमांकन कराये जाने, ईसागढ़ निवासी ऋषभ यादव द्वारा आधार कार्ड अपडेट कराये जाने, वार्ड क्रमांक 5 मुंगावली निवासी सुखदेव सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास एवं बीपीएल कार्ड बनावाए जाने, ग्राम बामोरी निवासी भागीरथ लोधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने, ग्राम महाना निवासी हिरिया बाई द्वारा सीमांकन कराये जाने आदि आवेदन आए।

पटवारी और वकील का विवाद गहराया

पटवारियों ने एकत्रित होकर की कार्यवाही की मांग
एक दिन पहले अधिवक्ताओं ने दिया था आवेदन

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। पटवारी और अधिवक्ता का विवाद गहराता जा रहा है, जहां एक दिन पहले गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया, तो वहीं दूसरे दिन पटवारियों ने एकत्रित होकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि जिला मुख्यालय तहसील परिसर में संचालित राजपुर स्थित नायब तहसीलदार न्यायालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अधिवक्ता ने शासकीय कार्य कर रहे पटवारी के साथ संभ्राम



अभद्रता और गाली-गलौज कर दी। पटवारी संघ ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर दोषी अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। **भरे न्यायालय में हुआ विवाद:** शिकायत के अनुसार, 7 मई को शाम करीब 6 बजे पटवारी मयंक मिश्रा नायब तहसीलदार न्यायालय राजपुर में शासकीय

कार्य निपटा रहे थे। तभी अधिवक्ता लालाराम कौशिक वहां पहुंचे और फाइल के विषय को लेकर बाबू शिवम शर्मा पर चिल्लाने लगे। जब विवाद बढ़ा और नायब तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, तो अधिवक्ता ने मर्यादित भाषा की सारी सीमाएं लांघ दीं। इस घटना से पटवारी एवं संघ असुरक्षा का महौल बन गया है, जिससे काम प्रभावित है।

राज्य अभिभाषक परिषद के चुनाव आयोजित

चंदेरी। राज्य अभिभाषक परिषद के मंगलवार को 12 मई को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मंत्र के सभी अभिभाषक ने मतदान कर स्टेट बार काउंसिल के 23 सदस्यों को अपना प्रतिनिधि चुना। जिसके लिए समूचे मध्यप्रदेश में स्टेट बार काउंसिल जबलपुर द्वारा राजधानी से तहसील स्तर तक मतदान की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न न्यायालयों में मतदान के लिए विद्वान न्यायधीशों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। राज्य अभिभाषक संघ के चुनाव की व्यवस्था स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा था। वहीं अपर जिला सत्र न्यायालय चंदेरी में मतदान के लिए न्यायधीश अपर जिला सत्र वीरेंद्र वर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। चंदेरी अभिभाषक संघ में 64 अभिभाषक रजिस्टर्ड हैं। चंदेरी में सुबह से ही चंदेरी का माहौल चुनावमय बन चुका था इसका मुख्य कारण यहां के स्थानीय प्रत्याशी अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी चंदेरी से पले बड़े हुए जिसने मंत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, राजधानी भोपाल के साथ ही राज्य अभिभाषक परिषद में अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉ. विजय चौधरी को लेकर उत्सुकता थी। सभी अभिभाषक ने मतदान करने में उत्सुकता से भाग लिया। अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी के परिवार के सदस्य गण और उनके



चाहने वाले अंतिम समय तक मतदान स्थल पर मौजूद थे। यहां प्रायः देखने में आया कि अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी के मिंगल नाम पर टिक लगाए उन्हें सिर्फ विजय चौधरी से मतलब था जबकि प्राथमिकता के आधार पर 106 प्रत्याशी में से 23 प्रत्याशियों पर प्राथमिकता देते हुए 1.2.3 क्रम में टिक करना था। इसलिए यहां अनुमान लगाया जा रहा कि स्थानीय प्रत्याशी अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी को चंदेरी के साथ साथ जिला अशोकनगर जिला शिवपुरी जिला गुना से भी बढूत हासिल करने की संभावना है। चंदेरी में चार अभिभाषक बाहर होने के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले सके 60 अभिभाषक ने मतदान में हिस्सा लिया।

चहने वाले अंतिम समय तक मतदान स्थल पर मौजूद थे। यहां प्रायः देखने में आया कि अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी के मिंगल नाम पर टिक लगाए उन्हें सिर्फ विजय चौधरी से मतलब था जबकि प्राथमिकता के आधार पर 106 प्रत्याशी में से 23 प्रत्याशियों पर प्राथमिकता देते हुए 1.2.3 क्रम में टिक करना था। इसलिए यहां अनुमान लगाया जा रहा कि स्थानीय प्रत्याशी अभिभाषक डॉ. विजय चौधरी को चंदेरी के साथ साथ जिला अशोकनगर जिला शिवपुरी जिला गुना से भी बढूत हासिल करने की संभावना है। चंदेरी में चार अभिभाषक बाहर होने के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले सके 60 अभिभाषक ने मतदान में हिस्सा लिया।

धर्म-कर्म

जबलपुर से 20 बस और 20 गाड़ियों से दो हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे मुनिश्री को श्रीफल भेंट करने

आप लोगों का पुण्य हो सकता है मेरा रथ मोड़ दे : सुधासागर

नवभारत न्यूज

मुंगावली। आप लोगों का पुण्य हो सकता है मेरा रथ मोड़ दे, मैं आचार्यश्री विद्यासागर का शिष्य हूँ मैं वचन नहीं देता मगर प्रवचन देता है आज संस्कारधानी जबलपुर के प्रत्येक घर से श्रावक यहां आया है ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद सूरज की दिशा बदलने आए हैं, मैं कुछ तो नहीं सकता हूँ मगर आपकी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका पुण्य देखकर लगता है कि मेरी दिशा बदल जाए उक्त उद्गार नगर में विराजमान मुनिश्री सुधा सागर महाराज ने जबलपुर से आए श्रावकों को संबोधित करते हुए कहे। वहीं आगे कहा कि एक लम्बा समय हो गया है जब मेरा चातुर्मास संस्कारधानी जबलपुर में हुआ था, पिछले 15 सालों में आप लोगों की भक्ति कम नहीं हुई है बल्कि कई गुना



बढ़ी है यह सब आप पुण्य को तीव्र कर रहा है और ऐसी भक्ति से ही गुरु कृपा बरसती है आज न केवल मुझे यहां जबलपुर के बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं बल्कि छोटे-छोटे बच्चे भी पूरे उत्साह

के साथ यहां आए हुए हैं मेरे जबलपुर से बहुत पुराना नाता रहा है मगर अब देखो आगे क्या होता है।

2 हजार से अधिक आए श्रद्धालु: मंगलवार दिन नगर के ऐतिहासिक राहा

और उसकी बजह से थी जबलपुर से आए हुए श्रद्धालु जहां भक्ति और आस्था का अपना अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब सुबह से ही एक बड़े काफिले के साथ जबलपुर के श्रद्धालुओं का नगर में पहुंचना शुरू हुआ एक भी एक श्रावक नहीं था। जिसके हाथ में मुनिश्री को भेंट करने के लिए श्रीफल ना हो जबलपुर से अमित शास्त्री ने बताया कि सकल दिग्गम्वर जैन समाज और हर मंदिर कमेटी एवं जैन युवा के तत्वाधान में सभी लोग मुनिश्री को चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट करने आए थे और सभी श्रद्धालुओं स्वयं का श्रीफल लेकर आए थे और जो लोग कारणवश नहीं आ पाए उन्होंने अपना श्रीफल अन्य श्रद्धालुओं को भेंट करने भेजा था, मुनिश्री का मंगल चातुर्मास 2011 में हुआ था तब से लेकर अभी तक 15 साल हो गए हैं मुनिश्री का

चातुर्मास नहीं हुआ है और इस बार सभी जबलपुर वालों की भावना है कि इस बार जगत पुज्य का मंगल आशीर्वाद संस्कारधानी जबलपुर को मिले। **जिज्ञासा समाधान में बैठने लोगों के लिए जगह पड़ी कम:** जिज्ञासा समाधान में पहली बार ऐसा हुआ है कि भक्तों का सैलाब उमड़ आया हो और कार्यक्रम स्थल पर लोगों को बैठने के लिए जगह कम पड़ गई मगर लोगों भक्ति इसके ऊपर देखने को मिली और लोग खड़े रहे जहां जिसको जगह मिली वह मुनिश्री के दर्शन के लिए लालायित नजर आया, ऐसा नगर में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी साधु के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हो और मुनिश्री ने भी किस भी भक्त को नाराज नहीं होने दिया और सभी को मंगल आशीर्वाद दिया।

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी

अशोकनगर। निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 15 मई 2026 से 25 मई 2026 तक निर्धारित केन्द्रों पर दावे आपत्ति प्राप्त की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीएन सिंह जिले के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अंतर्गत निर्धारित की गई तिथियों की जानकारी दावे, आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित किये गए केन्द्रों की जानकारी, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने

// जाहिर सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री राम भरोसा सोनी, पिता श्री बाबूलाल सोनी, निवासी माटी मोहल, तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा दाखल होम फाइनेंस प्रॉब्लेम रिजॉल्विड, शाखा अशोकनगर से ऋण लेना प्रस्तावित है। जिसकी संपत्ति का विवरण इस प्रकार है-
मकान क्रमांक 99, वार्ड क्रमांक 12, पटवारी हल्का क्रमांक 27, कुल क्षेत्रफल 17X16=272 वर्गफुट (अर्थात् 25.27 वर्गमीटर), स्थित माटी मोहल, तहसील एवं जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश)। उक्त संपत्ति प्राथम में श्री बबू लाल सोनी के नाम पर 2008-09 के संपत्ति कर अभिलेख में दर्ज थी, जिसमें श्री राम भरोसा सोनी का नाम भी उल्लिखित था। तत्पश्चात् दिनांक 07/01/2020 का नोटरीयुक्त शपथपत्र के माध्यम से उक्त संपत्ति श्री राम भरोसा सोनी के पक्ष में हस्तांतरण घोषित किया गया। श्री बाबूलाल सोनी के निधन उपरान्त, श्री राम भरोसा सोनी द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन (रसीद क्र. 005, दिनांक 23/05/2025) प्रस्तुत किया गया तथा नामांतरण प्रमाणपत्र क्र. 2020/103, दिनांक 19/08/2025 द्वारा संपत्ति उक्त नाम दर्ज हो गई। वर्तमान में श्री राम भरोसा सोनी अपनी पत्नी श्रीमती उषा सोनी के पक्ष में उक्त संपत्ति में सह-व्यवहार हेतु पंजीबद्ध दरतावेज निष्पादित करना चाहते हैं। अतः यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का दावा, अधिकार, आपत्ति, बचक, उत्तराधिकार या अन्य कोई हित/हिताधिकार हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों की भीतर अपने दावे/आपत्ति के समर्थन में प्रमाण सहित अहिलदाता/कालियार टाइनर होम फाइनेंस प्रॉब्लेम रिजॉल्विड, शाखा अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो निर्धारित समयवधि के पश्चात् मेरे पक्षकार द्वारा ऋण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी तथा उक्त ऋणरत प्राप्त कोई भी आपत्ति अमान्य एवं शून्य मानी जाएगी, जो मेरे पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।
अधिकार: हर्षित गुप्ता
कार्यालय: 3/217, दुर्गा कॉलोनी, गुना (म.प्र.)